

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय,  
भा0प्र0से0  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,  
बिहार।

पटना, दिनांक- 29.4.2016

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-101-आयुक्त-0001- मुख्य कार्यालय (विपत्र कोड N2053001010001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिये कुल ₹ 4,98,01,000/- (चार करोड़ अन्तानवे लाख एक हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-101-आयुक्त-0001- मुख्य कार्यालय (विपत्र कोड N2053001010001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिये कुल ₹ 4,98,01,000/- (चार करोड़ अन्तानवे लाख एक हजार रुपये) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि0 17 अप्रैल 1998 एवं 2793 दिनांक 04.04.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
3. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
5. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
7. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
09. इसकी मांग संख्या-33 एवं विपत्र कोड संख्या N2053001010001 है।
10. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
11. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
12. मासिक व्यय विवरणी एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से विभाग को अवश्य उपलब्ध करायी जाय।
13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।

14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन



(दयानिधान पाण्डेय)  
सरकार के अपर सचिव

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय,  
भा0प्र0से0  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,  
बिहार।

पटना, दिनांक-

2016

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-101-आयुक्त-0001- मुख्य कार्यालय (विपत्र कोड N2053001010001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिये कुल ₹ 4,98,01,000/- (चार करोड़ अन्तानवे लाख एक हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-101-आयुक्त-0001- मुख्य कार्यालय (विपत्र कोड N2053001010001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिये कुल ₹ 4,98,01,000/- (चार करोड़ अन्तानवे लाख एक हजार रुपये) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि0 17 अप्रैल 1998 एवं 2793 दिनांक 04.04.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
3. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
5. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
7. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
09. इसकी मांग संख्या-33 एवं विपत्र कोड संख्या N2053001010001 है।
10. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
11. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
12. मासिक व्यय विवरणी एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से विभाग को अवश्य उपलब्ध करायी जाय।
13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।

14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(दयानिधान पाण्डेय)  
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-5/बजट 1-03/2016 सा0-.....03..... /

पटना, दिनांक- 29.4.2016

**प्रतिलिपि** :- महालेखाकार बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




सरकार के अपर सचिव

**वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए (मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-101-आयुक्त-0001-मुख्य कार्यालय) आवंटन :-**

क्र० सं०	कूट संख्या	प्रमंडल का नाम	पट-ना	मगध, गया	तिरहुत, मुजफ्फरपुर	सारण, छपरा	दरभंगा	कोशी, सहरसा	पूर्णिया	मुनेर	भागलपुर	कुल योग
		प्राथमिक इकाई										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01 01	वेतन	25,00,000	21,00,000	21,00,000	18,00,000	21,00,000	21,00,000	25,00,000	25,00,000	21,00,000	<b>1,98,00,000</b>
2	01 03	जीवन यापन भत्ता	31,00,000	26,00,000	26,00,000	22,00,000	26,00,000	26,00,000	31,00,000	31,00,000	26,00,000	<b>2,45,00,000</b>
3	01 04	मकान किराया भत्ता	3,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	<b>16,00,000</b>
4	01 05	परिवहन भत्ता	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	<b>46,000</b>
5	01 06	चिकित्सा भत्ता	30,000	25,000	25,000	10,000	25,000	25,000	10,000	10,000	15,000	<b>1,75,000</b>
6	01 07	अन्य भत्ता	10,000	10,000	10,000	5,000	10,000	10,000	5,000	5,000	10,000	<b>75,000</b>
		<b>वेतन-भत्ता का योग</b>	<b>59,40,000</b>	<b>49,35,000</b>	<b>49,35,000</b>	<b>42,15,000</b>	<b>49,35,000</b>	<b>49,35,000</b>	<b>57,15,000</b>	<b>57,15,000</b>	<b>48,71,000</b>	<b>4,61,96,000</b>
7	11 01	यात्रा व्यय	0	15,000	15,000	20,000	30,000	5,000	25,000	20,000	30,000	<b>1,60,000</b>
8	13 01	कार्यालय व्यय	1,50,000	1,00,000	80,000	1,00,000	1,00,000	60,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	<b>8,90,000</b>
9	13 02	वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	1,00,000	1,00,000	1,00,000	40,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	50,000	80,000	<b>7,70,000</b>
10	13 03	दूरभाष	30,000	30,000	30,000	30,000	25,000	20,000	25,000	25,000	10,000	<b>2,25,000</b>
11	13 04	विद्युत प्रभार	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	<b>9,00,000</b>
12	13 06	वर्दी / पोशाक	5,000	8,000	5,000	5,000	5,000	10,000	2,000	-	10,000	<b>50,000</b>
13	20 01	आतिथ्य व्यय	20,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	1,00,000	-	10,000	<b>2,00,000</b>
14	28 01	व्यावसायिक और विशेष सेवाएँ	30,000	50,000	50,000	40,000	50,000	40,000	50,000	20,000	80,000	<b>4,10,000</b>
		<b>योग :-</b>	<b>63,75,000</b>	<b>53,68,000</b>	<b>53,25,000</b>	<b>45,60,000</b>	<b>53,55,000</b>	<b>52,80,000</b>	<b>62,17,000</b>	<b>60,30,000</b>	<b>52,91,000</b>	<b>4,98,01,000</b>

(चार करोड़ अन्तानवे लाख एक हजार रुपये) मात्र

  
 सरकार के अपर सचिव  
 सामान्य प्रशासन विभाग